HAMIRPUR POLICE

दि0 25.05.2023

''प्रभावी पैरवी कर 02 अभियुक्तों को आजीवन कारवास व प्रत्येक को 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये)के अर्थदंड की सजा दिलाई-"

आज दिनांकः- 25.05.2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीस कोर्ट द्वारा नामजद 04 अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप,थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 417/2007 धारा- 302/34 आई.पी.सी. नामजद अभियुक्तगण 1. तेज कुमार पुत्र दृगपाली 2. पप्पु पुत्र भवानीदीन पाल नि0 गण किसवाही थाना सिसोलर जनपद हमीपुर को सजा दिलाई गई।

इस अपराध में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपियों को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एंव प्रत्येक को 1,50,000/- एक लाख पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, मुकद्दमें में आरोपी अन्य दो अभियुक्तों 1. दृगपाली पाल पुत्र हुलासी, 2. संतराम पुत्र दृगपाली की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है।

अभियुक्तगण को सजा दिलाने में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सिसोलर राकेश कुमार मिश्र, डीजीसी राजेश कुमार शुक्ला व पैरोकार सिसोलर का0 बृजेश कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

डीजीसी
राजेश कुमार शुक्ला

पैरोकार
का0 बृजेश कुमार